eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

न्यायिक सक्रियता एवं पर्यावरण संरक्षण

[1]पूजा शुक्ला
[2]प्रो0 (डा0) पप्पी मिश्रा
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, भगवानदीन कन्या पीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी
[2]राजनीति विज्ञान विभाग, दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज सिविल लाइंस, कानपुर

Received: 15 Feb 2024 Accepted & Reviewed: 25 Feb 2024, Published : 29 Feb 2024

Abstract

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है वैसे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय कानून विद्यमान है लेकिन समय–समय पर न्यायालय द्वारा अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तुत की गई जनहित याचिकाओं पर निर्णय देकर किया जाता है ऐसे ही कुछ निर्णय का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में उल्लेखित किया गया है जो भविष्य में न्याय निर्णयों की भूमिका को समझने में मददगार सिद्ध होगा।

शब्द संक्षेप– भारतीय संविधान, न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता एवं पर्यावरण संरक्षण।

Introduction

वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम बनाम भारत संघ एक प्रमुख मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों का गंभीर विश्लेषण किया। याचिकाकर्ता– वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम ने तमिलनाडु राज्य में टेनरियों और अन्य उद्योगों द्वारा अनुपचारित अपशिष्टों के निर्वहन के कारण पलार नदी में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदूषण के खिलाफ भारतीय संविधान के तहत एक जनहित याचिका दायर की। पलार नदी का पानी आसपास के लोगों के लिए पीने और नहाने के पानी का मुख्य स्रोत है।इसके अलावा, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र, वेल्लोर ने पाया कि लगभग 35,000 हेक्टेयर कृषि भूमि या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से खेती के लिए अयोग्य हो गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या लाखों लोगों के जीवन की कीमत पर टेनरियों को काम जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट की जांच करते हुए पर्यावरण और विकास के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करते हुए अपना फैसला सुनाया,न्यायालय ने माना कि भारत में ये टेनरियां प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक हैं और कई हजारों लोगों को रोजगार भी प्रदान करती हैं। लेकिन साथ ही, यह पर्यावरण को नष्ट करता है और सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए सभी टेनरियों को रुपये जमा करने का निर्देश दिया। कलेक्टर के कार्यालय में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य को श्री एम. सी. मेहता को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके प्रयासों की सराहना के रूप में 50,000 रु. रुपये की राशि देने का निर्देश दिया।

इस मामले में न्यायालय ने विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों और साथ ही पर्यावरणीय मामलों के त्वरित और त्वरित निपटान के लिए भारत में ग्रीन बेंच के गठन पर भी जोर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (2) (गंगा नदी प्रदूषण मामला)

भारतीय संविधान के धारा 32 के तहत श्री एम. सी. मेहता द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कानपुर शहर के पास गंगा नदी का पानी अत्यधिक जहरीला था दृ क्योंकि क्षेत्र में टेनरियों ने अपने अनुपचारित अपशिष्टों को इसमें बहा दिया था। नदी। इसके अलावा, नौ नाले सीवेज अपशिष्ट और कीचड़ को नदी में बहा रहे थे। इसी तरह शव और अधजले शव भी नदी में फेंक दिये गये। इसके अलावा, पूरे शहर में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता की स्थिति अपर्याप्त थी और सामान्य शहर के अनुरूप नहीं थी याचिकाकर्ता ने यूपी राज्य को व्यापारिक अपशिष्टों को गंगा नदी में छोड़ने से रोकने के लिए एक रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की मांग की।

उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि कानपुर शहर की टेनरियों में भौतिक सुविधाओं, तकनीकी जानकारी और धन की कमी के कारण उनके लिए उचित उपचार स्थापित करना संभव नहीं था,न्यायालय ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि "एक टेनरी की वित्तीय क्षमता को प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता के दौरान अप्रासंगिक माना जाना चाहिए... ठीक उसी तरह जैसे एक उद्योग जो अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता, उसे अस्तित्व में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो टेनरी प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित नहीं कर सकते, इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

इसके अलावा, अदालत ने पाया कि नदी के पानी में लौह और मैंगनीज की मात्रा आईएसआई सीमा से अधिक थी जो खपत के लिए बहुत हानिकारक पाई गई।अदालत ने उन टेनरियों को आदेश दिया जो अदालत के सामने पेश नहीं हुईं, उन्हें काम करना बंद कर देना चाहिए और फिर से शुरू करने से पहले, उन्हें उद्योग अपशिष्टों के लिए पूर्व–उपचार मशीनरी स्थापित करनी होगी।

इसलिए, अदालत ने कानपुर महानगरपालिका को उत्तरदायी ठहराया और गंगा नदी के प्रदूषण के पीसीए (रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन) के लिए कई निर्देश भी पारित किए, जिनमें से कुछ थे:

श्रमिक बस्तियों में सीवरों का आकार बढ़ाना:श्रमिक कॉलोनियों में सीवरों के आकार में वृद्धि–

कई संख्या में शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण;

- अंतिम संस्कार समारोह के बाद शवों और आधे जले हुए शवों या राख को नदी में फेंकने से रोकना;
- चमड़े के कारखानों और अन्य कारखानों में उपचार संयंत्र स्थापित करना;
- 'गांव को स्वच्छ रखें सप्ताह' मनाएं
- थिएटर में अंतराल के समय पानी की महत्ता एवं शुद्धता से संबंधित स्लाइडों को जोड़ना।

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम.वी.नायडु(3)

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

उत्तरदाताओं ने उद्योग आयुक्त को उद्योग स्थापना हेतु सहमति हेतु आवेदन दिया। लाइसेंस जारी करना विभिन्न शर्तों के अधीन था जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए एसपीसीबी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त शामिल थी और स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरण उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते थे।

• आवेदन को ए.पी. पीसीबी ने खारिज कर दिया था क्योंकि उद्योग एक प्रदूषणकारी इकाई थी और "लाल श्रेणी" के अंतर्गत आती थी और प्रस्तावित स्थल दो झीलों– हिमायत सागर झील और उस्मान सागर झील– के 102 किमी के दायरे में था, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति के प्राथमिक स्रोत थे।

• निगम ने एक साल बाद फिर से अनुमति और मंजूरी के लिए आवेदन किया लेकिन एपीपीसीबी ने उसी आधार पर फिर से आवेदन खारिज कर दिया।

• व्यथित उत्तरदाताओं ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया। अपीलीय प्राधिकरण ने उद्योग की स्थापना के लिए अपनी सहमति देने के लिए एपीपीसीबी को निर्देश जारी किए।

• लेकिन ट्रिब्यूनल द्वारा यह आदेश पारित करने से पहले, प्रतिवादियों ने एपीपीसीबी के आदेश को मनमाना बताते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर कर दी थी। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को अनुमति देते हुए एपीपीसीबी को इसके लिए अपनी सहमति देने का भी निर्देश दिया।

• व्यथित होकर, एपीपीसीबी ने उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 136 के तहत अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न टिप्पणियाँ कीं और सहमति न देने के एपीपीसीबी के निर्णयों पर सहमति जताते हुए अपील की अनुमति दी।

• अदालत ने कहा कि "पर्यावरण के क्षेत्र में, जहां वैज्ञानिक राय की अनिश्चितता ने अदालतों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की हैं– अनिश्चितता एक समस्या बन जाती है जब एजेंसियों और अदालतों द्वारा नीति–निर्माण में वैज्ञानिक ज्ञान को संस्थागत बना दिया जाता है।" न्यायाधीशों ने महसूस किया कि एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत अब देश के पर्यावरण न्यायशास्त्र का हिस्सा हैं।

• अदालत ने वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम और श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स गैस रिसाव मामले के मामलों का भी उल्लेख किया।

एस.जगन्नाथ बनाम भारत संघ (4)

• वर्तमान जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने पारिस्थितिक रूप से नाजुक तटीय क्षेत्रों में गहन और अर्ध–गहन प्रकार के झींगा पालन पर रोक लगाने के लिए सीआरजेड अधिसूचना, 1991 को लागू करने और समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की मांग की है।

वाणिज्यिक जलकृषि के कारण वहां खेती काफी होती है।मैंग्रोव का क्षरण,पारिस्थितिक तंत्र, पीने योग्य पानी का प्रदूषण, और मछली पकड़ने में कमी। जलकृषि फार्मों से रुके हुए पानी के रिसाव के कारण भूजल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

दूषित हो गया है। आगे। अदालत ने पाया कि हाल ही में झींगा फार्मों में परिवर्तित की गई अधिकांश तटीय भूमि का उपयोग पहले खाद्य फसलों और पारंपरिक मछली पकड़ने के लिए किया जाता था।

• इसके अलावा, तटीय क्षेत्र में आधुनिक झींगा तालाबों के विस्तार का मतलब है कि स्थानीय मछुआरे इन झींगा खेतों में अतिक्रमण करने या लंबा चक्कर लगाने के बाद ही समुद्र तट तक पहुंच सकते हैं।

• अदालत ने कहा कि समुद्री और समुद्री तट मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार हैं। उक्त क्षेत्र के सौंदर्य गुणों और मनोरंजक उपयोगिता को बनाए रखना होगा। ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसका प्रभाव पर्यावरण को ख़राब करने वाला हो।

• वाणिज्यिक झींगा पालन फार्मों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषण और खतरनाक पदार्थ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। छम्स्ट् रिपोर्ट बताती है कि ये अपशिष्ट पदार्थ निर्धारित मानकों से अधिक हैं। इसके अलावा, ईपीए, 1986 या खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग नियम), 1989 या जल अधिनियम, 1974 या मत्स्य पालन अधिनियम, 1897 या डब्ल्यूपीए, 1972 आदि के तहत प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:

• कृषि भूमि और नमक फार्मों का कोई भी हिस्सा एक्वाकल्चर फार्मों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता;

• ईपीए, 1986 की धारा 8(3) के तहत केंद्र सरकार के अधीन एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा;

• इस प्रकार गठित प्राधिकरण एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत को लागू करेगा।

• तटीय क्षेत्रों में झींगा पालन तालाबों का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

• वर्तमान में चिल्का झील के 1 किमी के दायरे में कार्यरत जलकृषि उद्योगों को प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देना होगा;

• सीआरजेड के बाहर काम करने वाले एक्वाकल्चर को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकरण से पूर्व अनुमति और मंजूरी लेनी चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें अपना संचालन बंद करना पड़ेगा।

इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो–लीगल एक्शन बनाम भारत संघ(5)

इस मामले में, उदयपुर के बिचारी गांव में 5 फैक्ट्रियां हयालूरोनिक एसिड (एच–एसिड) का उत्पादन कर रही थीं। ये इकाइयाँ अत्यधिक विषैले अनुपचारित अपशिष्टों यानी लौह और जिप्सम आधारित कीचड़ का निर्वहन कर रही थीं।

• इसका परिणाम सामान्य रूप से भूमिगत मिट्टी, भूमिगत जल और पर्यावरण को लंबे समय तक चलने वाली क्षति के रूप में सामने आया। 350 हेक्टेयर में फैले लगभग 60 कुओं का पानी लाल हो गया और पीने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त हो गया। 350 हेक्टेयर की पूरी ज़मीन बंजर हो गई.

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

• उप–विभागीय मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत उन्हें दी गई शक्तियों के तहत कार्य करते हुए कारण बताने का आदेश दिया कि इन कारखानों को क्यों बंद नहीं किया जाना चाहिए।

• तदनुसार, उपरोक्त मामले पर गौर करने के लिए पर्यावरणवादी संगठन– इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो–लीगल एक्शन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी।

• अदालत ने उपरोक्त संबंधित मामलों को विस्तार से निपटाया, जिसमें रायलैंड्स बनाम फ्लेचर, ओलियम गैस रिसाव मामला, भोपाल गैस त्रासदी आदि के मामले शामिल थे और पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को लागू किया।

• कोर्ट ने फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया और उन्हें रुपये तक का हर्जाना देने का भी आदेश दिया। क्षेत्र की पारिस्थितिकी में बदलाव के लिए 4 करोड़ रुपये।

• न्यायालय ने सभी राज्य उच्च न्यायालयों में ग्रीन बेंच स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

बॉम्बे एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप बनाम महाराष्ट्र राज्य (6)

पर्यावरण मानदंडों के खिलाफ जिला ठाणे में 500 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता– बॉम्बे एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप द्वारा यह रिट याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह परियोजना उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बर्बाद कर देगी, जिससे आस–पास के जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि आसपास के पर्यावरण को किसी भी नुकसान की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि उस भूमि में कोई वनस्पति नहीं थी जिसे काटा जा सके; भूमि लगभग बंजर और बेकार थी। इसके अतिरिक्त, स्थल क्षेत्र के आस–पास कहीं भी कोई बस्ती नहीं थी।

इसलिए, अदालत ने ईपीए, 1986 और सीआरजेड अधिसूचना के प्रावधानों का विश्लेषण किया और पाया कि एमओईएफ द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी पर्यावरण मानदंडों के विपरीत थी।

लेकिन फिर भी याचिका को अनुमति नहीं दी गई क्योंकि अधिक अच्छे के लिए भारत में बिजली कटौती की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि– "पर्यावरणीय मुद्दे प्रासंगिक हैं और विचार के योग्य हैं। लेकिन पर्यावरण की जरूरतों को बड़े पैमाने पर समुदाय की जरूरतों और विकासशील देशों की जरूरतों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। यदि कोई पाता है कि सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं और उनका ठीक से पालन किया गया है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस / ओलियम गैस लीकेज केस) (7)

• इस मामले में पूर्ण दायित्व का नियम निर्धारित किया गया था, जो सख्त दायित्व से भी अधिक कठोर नियम है। यह मामला ओलियम गैस रिसाव मामले के नाम से अधिक लोकप्रिय है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

• श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है जो दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। 4 दिसंबर 1985 को सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र से ओलियम गैस का रिसाव हुआ जिसके परिणामस्वरूप एक वकील की मृत्यु हो गई और कई अन्य व्यक्ति घायल हो गए। फिर 6 दिसंबर 1985 को उसी प्लांट से ओलियम गैस का मामूली रिसाव हुआ। सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एक शिकायत के खिलाफ, जिला मजिस्ट्रेट ने श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के प्रबंधन को यूनिट बंद करने और लिखित रूप में सात दिनों के भीतर कारण बताने का निर्देश दिया।

• याचिकाकर्ता श्री एम. सी. मेहता भारतीय संविधान की धारा 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर करते हैं, अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया कि वह सरकार को खतरनाक और खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाओं में लगे उद्योगों से इस तरह के रिसाव से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दें। उन्होंने कोर्ट को भोपाल गैस त्रासदी की हालिया घटना की भी याद दिलाई और कोर्ट से इन उद्योगों को शहर से कहीं दूर स्थानांतरित करने के लिए प्रबंधन को निर्देश देने की प्रार्थना की।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दे थेः

•प्लांट को चालू रखने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं?

• यदि नहीं, तो रिसाव, विस्फोट, वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है?

• प्लांट में कोई सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बहस और चर्चा के बाद श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को अपना परिचालन बहाल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि ऐसे उद्योग खतरनाक हैं, लेकिन ये देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी हैं।

• अदालत ने प्रबंधन को अदालत में रुपये जमा करने का निर्देश दिया। पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में 20 लाख रुपये,इसके अलावा उद्योग को विशेषज्ञ समितियों की सभी सिफारिशों का पालन करना होगा और सबसे पहले सुरक्षा उपकरण स्थापित करने होंगे।

• अदालत ने उद्योगों को ऐसे उद्योगों के आसपास 1–5 किलोमीटर की चौड़ाई वाली हरित पट्टी स्थापित करने और विकसित करने का निर्देश दिया।

• न्यायालय ने याचिकाकर्ता श्री एम.सी. मेहता की सराहना की, जनहित याचिका दायर करने के लिए उन्हें श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

• न्यायालय ने केंद्र सरकार को पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया।

एम.सी मेहता बनाम. यूनियन कार्बाइड आयोग(8)

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

• दिसंबर 1984 को, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो यूसीसी, यू.एस.ए. की सहायक कंपनी है, से जहरीली गैस – मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) का रिसाव हुआ था, इस आपदा को दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा के रूप में वर्णित किया गया है, इसमें 2,260 लोगों की जान चली गई और लगभग 6 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

• भारत सरकार ने पीड़ितों की ओर से अमेरिकी जिला न्यायालय, न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया। अमेरिकी जिला न्यायालय ने फोरम के गैर–सुविधाजनक होने के आधार पर सभी मुकदमों और याचिकाओं और अभ्यावेदनों को खारिज कर दिया, यानी भारत में मुकदमों की सुनवाई अधिक आसानी से की जा सकती है। यूओआई ने फिर से एम.सी. के माध्यम से यह वर्तमान मुकदमा दायर किया। भोपाल के जिला न्यायालय में एमसी मेहता बनाम यूसीसी ने 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3900 करोड़ रुपये के मुआवजा का दावा किया, जिला न्यायालय ने यूसीसी को पीड़ितों को 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 350 करोड़ रु. रुपये की अंतरिम राहत देने का आदेश दिया।

• व्यथित होकर यूसीसी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसने मुवाबजे की राशि को 350 करोड़ रुपये से कम कर 250 करोड़.रु कर दिया।

• व्यथित दोनों पक्षों ने विभिन्न मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। इस मामले में विचार के लिए कई नगरीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। ऐसे कुछ मुद्दे थेः

• क्या मूल कंपनी विदेश में अपनी सहायक कंपनी के भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है? यूसीसी ने कहा है कि वह अपने कार्यों के लिए केवल नैतिक रूप से उत्तरदायी है लेकिन कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है।

• क्या विदेश में यूसीसी की सहायक कंपनी की खतरनाक गतिविधियों के लिए गृह राज्य यानी यूएसए को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?• क्या मेजबान राज्य यानी भारत जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों को लागू करने और दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए दायित्व की सीमा के लिए जिम्मेदार है?

• जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तो नई दिल्ली के श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में एक और घटना घटी। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 1868 के निरपेक्ष दायित्व के सिद्धांत से निरपेक्ष दायित्व के सिद्धांत को विकसित किया।

• उस फैसले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी दावों की संतुष्टि में पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए पीड़ितों को मुआवजे के लिए रुपये 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 750 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। और दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया।

• न्यायालय ने अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए यूसीसी के खिलाफ सभी नागरिक, आपराधिक आदि कार्यवाही को रद्द कर दिया।

सचिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (9)

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

• अलीपुर में एक प्राणी उद्यान था जो कलकत्ता शहर के बाहरी इलाके में था लेकिन समय के साथ शहर इतना बड़ा हो गया कि अब प्राणी उद्यान शहर के मध्य में है।

• मई 1980 में, ताज ग्रुप ऑफ़ होटल्स उस क्षेत्र में एक पाँच सितारा होटल का निर्माण करना चाहता था तदनुसार, यह प्रस्तावित किया गया कि होटल के निर्माण के लिए प्राणी उद्यान से चार एकड़ भूमि ली जा सकती है।बाद में होटल के ब्लूप्रिंट को देखकर चिड़ियाघर की प्रबंध समिति ने कई आपत्तियां उठाईं जिन्हें बाद में समझौते के बाद वापस ले लिया गया। यह समझौता 60 मंजिला होटल नहीं बल्कि एक गार्डन होटल के निर्माण की शर्तों पर तय हुआ था।

.• तदनुसार, 5 याचिकाकर्ताओं ने चिड़ियाघर अधिकारियों को होटल समूह को यह जमीन देने से रोकने के लिए एक जनहित याचिका दायर की।उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी और उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसकी पुष्टि की।

• इसलिए, अपील को सुप्रीम कोर्ट में ।136 के तहत प्राथमिकता दी गई थी।

• याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है और जो लोग चिड़ियाघर के कल्याण में रुचि रखते थे, निर्णय लेने से पहले मामले में उनकी बात नहीं सुनी गई।

हालाँकि, इसे अदालत ने इस तथ्य का हवाला देते हुए खारिज कर दिया कि ताज समूह द्वारा सभी आवश्यक सावधानियाँ बरती गई हैं।

• सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "जब भी पारिस्थितिकी का मामला न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो न्यायालय को यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि यह नीति निर्माण प्राधिकरण का मामला है।"

• लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ताज समूह के होटलों का दृष्टिकोण विश्वसनीय रूप से निष्पक्ष रहा है क्योंकि उन्होंने चिड़ियाघर और उसके निवासियों को संरक्षित करने के लिए सभी आश्वासन दिए हैं। वे क्षेत्र की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए एक गार्डन होटल बनाने पर भी सहमत हुए।

इसलिए अपील खारिज कर दी गई और निर्माण की अनुमति दी गई।

प्रदीप कृष्णन बनाम भारत संघ (10)

• याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी एक आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका यू/ए 32 दायर की। सीमाओं के आसपास रहने वाले ग्रामीणों द्वारा अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों से तेंदू पत्तों के संग्रह की अनुमति देना दृ इसे डब्ल्यूपीए, 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन और मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन माना जाता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

• उन्होंने आगे तर्क दिया कि पेड़ों की अवैध कटाई और अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति आवरण का नुकसान हुआ है।

• उन्होंने यह भी तर्क दिया कि म.प्र. ने पहले भी वर्ष 1992 में उचित रूप से प्रतिबंध लगाया था लेकिन बढ़ते व्यावसायिक दबाव के कारण उक्त प्रतिबंध हटा दिया गया था।

• याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उक्त पिछले प्रतिबंध को हटाकर राज्य ने क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों की अनदेखी की है और इसके अलावा मानव की उपस्थिति क्षेत्र के पर्यावरण और वन्य जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है।

• न्यायालय ने कला के महत्व पर प्रकाश डाला। 48ए और कला 51ए (जी)।

• इसके अलावा, अदालत ने माना कि आदिवासियों को अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में वन भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूपीए, 1972 के तहत उचित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। ऐसी प्रक्रिया पूरी होने तक, राज्य सरकार किसी के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकती है। ग्रामीणों या आदिवासियों को जंगल में तब तक जाने से रोकें जब तक कि उनके प्रवेश से क्षेत्र के पर्यावरण को विनाश या क्षति होने की संभावना न हो।

पर्यावरण कानून केंद्र बनाम भारत संघ (11)

• इस मामले में, अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 17 राज्यों को डब्ल्यूपीए, 1972 की धारा 33–ए और धारा 34 के तहत प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए।

• धारा 33–ए अभयारण्यों में पशुओं के टीकाकरण से संबंधित है

• धारा 34 वन क्षेत्र में हथियार रखने वाले व्यक्तियों के 2 महीने के भीतर पंजीकरण से संबंधित है

ग्रामीण मुकदमेबाजी हकदारी केंद्र (आरएलईके) बनाम भारत संघ (12)

• यह भारत की पहली पर्यावरण जनहित याचिका है।

• एक स्वयंसेवी संगठन आरएलईके ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा जिसे एक याचिका के रूप में माना गया। पत्र में दून घाटी के पूरे हिस्से में अनधिकृत और अवैध खनन गतिविधियों का खुलासा किया गया था।

• ग्रीन बेल्ट में 70 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की कमी की गई।

• लापरवाह खनन कार्यों, खदान के मलबे के लापरवाही से निपटान और अनियमित विस्फोट कार्यों ने प्राकृतिक जल प्रणालियों को परेशान कर दिया और पीने और सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति कम हो गई।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 02, February 2024

• इसके अलावा उत्खनन कार्यों ने कई प्रवासी पक्षियों के घरों को नष्ट कर दिया और उस क्षेत्र के निवासियों को उस स्थान से स्थानांतरित होने के लिए मजबूर कर दिया।

• सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यह निर्धारित करने के लिए खनन कार्यों पर रोक लगा दी कि क्या खदानें सुरक्षा के साथ संचालित की जा रही थीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1• AIR 1996 SC 2715: (1996) 5 SCC 647

2 (1997) 2 SCC 353

3 AIR 1999SC 812: 2001 (2) SCC 62

4 . (1997) 2 SCC 87: AIR 1997 SC 811

5 . AIR 1996 SC 1446: (1996) 3 SCC 212

6. AIR 1991 BOM 301

7. (1986) 2 SCC 176

8. (1991) 4 SCC 584

9. (1987) 2 SCC 295

10. 1996 (8) SCC 599

11 . AIR 1999 SC 354

12. AIR 1988 SC 2187